98/2014 कान्ता देवी V/S पप्पु आदि

दिनांक	आज्ञा पत्र	
3-1-24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 2-2-24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
2-2-24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 1-3-24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
1-3-24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22-4-24 को पेश हो।	
22-4-24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 20-5-24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
20-5-24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19-6-24 को पेश हो।	
19-6-24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 19-7-24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
19-7-24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/8/24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
5/8/24	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय बरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 98/2014

1 कान्ता देवी पत्नी श्योराम
2 दाड़िया पुत्र मंगल्या
समस्त जाति मीणा निवासीगण ढाणी हरनाथ की तन ग्राम जुगलपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 पप्पु पुत्र गंगल्या
2 श्रीमती मन्जुदेवी स्त्री पप्पु
3 गोरधन पुत्र बिडदाराम
समस्त जाति मीणा निवासीगण ढाणी हरनाथ की तन ग्राम जुगलपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
4 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना।
5 अधिशाषी अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगर लिमिटेड शाखा कार्यालय नीमकाथाना जिला सीकर।
6 कनिष्ठ अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
7 सहायक अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड शाखा कार्यालय अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

अपील विरूद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिकी दिनांक
16.09.2011 व उसके आधार पर पारित अन्तिम
डिकी दिनांक 23.05.2014 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी नीमकाथाना बसिलसिले मु.नं. 137/2009
उनवानी पप्पु आदि बनाम गोरधन आदि दावा बाबत
विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. टिनेन्सी एक्ट

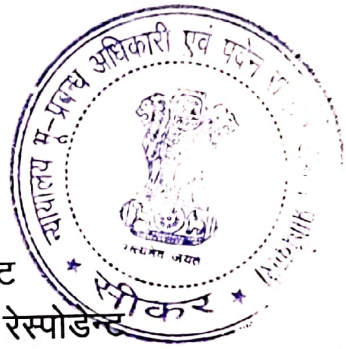

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र कुमार स्वामी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 5.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 137/2009 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

बाबत भूमि खसरा नम्बर 19, 21, 22, 27, 28 वाके ग्राम जुगलपुरा तहसील नीमकाथाना का पेश किया। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की दिनांक 15.09.2011 जरिये वकील उपस्थिति हुई थी। विचारण न्यायालय द्वारा वास्ते पेश करने जवाब दावा दिनांक 16.09.2011 नियत की गई। विचारण न्यायालय ने जवाब दावा प्राप्त किये बिना तनकी कायम किये बिना साक्ष्य लिये बिना, विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना दिनांक 16.09.2011 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इसके उपरांत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट को आपत्ति का अवसर प्रदान किये बिना अंतिम डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये है। इसकी पुष्टि विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से होती है। इस विभाजन प्रस्ताव के प्रारम्भ में तहसीलदार को संबोधित करके विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। विभाजन प्रस्ताव भिजवाने के तहसीलदार के पत्र में स्पष्ट अंकन है कि विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान से तैयार करवाकर भिजवाये गये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2021 (2) रेव पेज 1084, आरबीजे 2019 पेज 312, आरबीजे 2019 पेज 320 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रहीं है। विचारण न्यायालय में उपस्थिति के उपरांत भी अपीलांट ने न तो विचारण न्यायालय में चाराजोही की है। न ही प्रस्तुत अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की अलग–अलग अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। विधि अनुसार प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री की एकसाथ अपील पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। बाद सुनवाई अंतिम डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में अपीलांट की दिनांक 15.09.2011 जरिये वकील उपस्थिति हुई थी। विचारण न्यायालय द्वारा वास्ते पेश करने जवाब दावा दिनांक 16.09.2011 नियत की गई। विचारण न्यायालय ने जवाब दावा प्राप्त किये बिना तनकी कायम किये बिना साक्ष्य लिये बिना, विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना दिनांक 16.09.2011 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इसके उपरांत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट को आपत्ति का अवसर प्रदान किये बिना अंतिम डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये है। इसकी पुष्टि विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से होती है। इस विभाजन प्रस्ताव के प्रारम्भ में तहसीलदार को संबोधित करके विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। विभाजन प्रस्ताव भिजवाने के तहसीलदार के पत्र में स्पष्ट अंकन है कि विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान से तैयार करवाकर भिजवाये गये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 5.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर